"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160-अ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 मई 2011—वैशाख 13, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मई 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-1/2011/1/एक.—छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र. 25 सन् 1972) की धारा 9 सहपठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मंत्री (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 5 के उपनियम (2) में, शब्द तथा अंक "32 पैसा" के स्थान पर शब्द तथा अंक "रु. 14.00 (चौदह रुपये)" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 7 में, शब्द तथा अंक "रु. 51 (इंक्यावन)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "रु. 400.00 (चार सौ रुपये)" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. नियम 7 के परन्तुक में, शब्द तथा अंक "रु. 60/- (साठ)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "रु. 500.00 (पांच सौ रुपये)" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 मई 2011

क्रमांक एफ 3-1/2011/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मंत्री (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम 1972 में किये गये संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

Raipur, the 3rd May 2011

NOTIFICATION

No. F 3-1/2011/1/One.—In exercise of the powers conferred by Section 11 read with Section 9 of the Chhattisgarh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Ministers (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1972, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In sub-rule (2) of Rule 5, for the words and figure "32 paisa" the words and figure "Rs. 14.00 (fourteen rupees)" shall be substituted.

2. In Rule 7, for the words and figure "Rs. 51 (fifty one)" the words and figure "Rs. 400.00 (four hundred rupees)" shall be substituted.

3. In proviso of Rule 7, the words and figure "Rs. 60/- (Sixty)" the words and figure "Rs. 500.00 (five hundred rupees)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.